योगी की गुंडा पुलिस ने की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ने वाले वकील के एनकाउंटर की तैयारी

लखनऊ (म.मो.) चार दिन बीत जाने के बावजूद नहीं दर्ज हुई है पुलिस के खिलाफ एफआईआर, पुलिसिया पिटाई से बुरी तरह जख्मी हैं एडवोकेट मसूद रजा।

लखनऊ। भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों को उठाने वाले उतरौला बलरामपुर के अधिवक्ता मोहम्मद मसूद रजा पर पुलिसिया हमले के चार दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज न होना साफ करता है कि योगी सरकार अपने अपराधी पुलिस वालों को बचाने की फिराक में है। बलरामपुर के उतरौला थाने में पिछले दिनों एडवोकेट मोहम्मद मसूद रजा पर हमले के बाद उनके भाई सेराजुल हक और अब्दुल हफीज खान ने बताया कि अभी तक इस मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव को एडवोकेट मसूद रजा ने,जो कि पुलिसिया हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, फोन पर बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत एसपी बलरामपुर, मुख्यमंत्री, बार काउंसिल, डीजीपी, मानवाधिकार आयोग समेत कई अन्य जगहों पर की है। उतरौला बार एसोशिऐसन ने कोतवाल सहित दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की है। इस पर एसपी, बलरामपुर ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर यह भी सूचना है कि पुलिस एक और फर्जी मामले में मसूद रजा समेत अन्य को अभियुक्त बनाकर उनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहती है।

मसूद रजा ने बलरामपुर चीनी मिल से हो रहे प्रदूषण जैसे अहम मुद्दों को हाईकोर्ट तक लाकर लड़ाई लड़ी, ताकि आम अवाम और जीव जन्तु सुरक्षित रह सकें। रिहाई मंच ने बयान जारी कर कहा कि आज मसूद रजा पर हुआ पुलिसिया हमला भ्रष्टाचारी कंपनी और पुलिस के गठजोड़ का नतीजा है, जो नहीं चाहती कि उनके मुनाफे के कारोबार को कोई धक्का लगे। एक तरफ योगी कहते हैं कि अपराधियों से मुक्त यूपी होगा दूसरी तरफ उनकी पुलिस अपराध के खिलाफ शिकायत करने वालों पर जानलेवा हमला कर रही है, जो बताता है कि सरकार अपराधियों के साथ है और आम आदमी हवालात में है।

घटनाक्रम के मुताबिक 16 मई 2018 को मसूद रजा, शाकिर के साथ उतरौला पुलिस स्टेशन एक मामले को लेकर गए, जहां पीड़ित पक्ष ने एफआईआर करने की बात एसएचओ से की। लेकिन एसएचओ एफआईआर दर्ज करने के बजाए एडवोकेट मसूद रजा को गाली देने लगे। वहीं मौजूद मसूद के छोटे भाई हसमत रजा का मोबाइल पुलिस ने छीन लिया और कहा कि ये वीडियो बना रहा था, इसको भी पीटो जिससे वीडियो बनाना भूल जाए। हसमत किसी तरह वहां से भाग निकले। इस सब पर जब मसूद ने आपत्ति दर्ज की तो पुलिस उन्हें बेरहमी से पीटने लगी।

मसूद अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के चंगुल से निकलने की कोशिश करने लगे तो पुलिस उन्हें चौराहे से घसीटते हुए लाकर थाने पर पीटने लगी और कहा कि बड़ा वकील बनता है, इलाहाबाद के वकील की तरह इसका भी इनकाउंटर कर दो। कोतवाल संतोष कुमार सिंह के साथ दर्जनभर पुलिस वालों ने पीट-पीटकर मसूद को अधमरा कर दिया। जिससे उनके सीने, कान, सिर, हाथ-पैर समेत पूरे जिस्म पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद पुलिस ने मसूद को लाकअप में बंद कर दिया और ऊपर से केस भी लगा दिया। कोतवाल संतोष सिंह के निर्देश पर पुलिस हसमत रजा की भी खोज करने लगी। कोतवाल ने निर्देश दिया कि उसको जैसे भी हो पकड़ कर लाओ, तीनों का एनकाउंटर कर देंगे।

मसूद गंभीर चोटों की वजह से अभी अस्वस्थ हैं। रिहाई मंच की अगुवाई में एक जांच टीम उतरौला, बलरामपुर जाकर उनसे मुलाकात कर तथ्यों की छानबीन करेगी, क्योंकि अधिवक्ता पर हमला बताता है कि वहां आम आदमी का क्या हाल होगा। यह मानवाधिकार का गंभीर मसला है। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

तेल का खेल

रवींद्र गोयल की विशेष रपट

संघी/ भगत/ मोदी के लगुए भगुए सब इस बात पर बहुत दुखी हैं कि तेल के दाम में अभूतपूर्व बढ़ोतरी पर लोग उनकी आलोचना क्यों कर रहे है। अगर मूर्खों की बकवास को छोड़ भी दिया जाये तो गंभीर लोगों का तर्क है कि जब दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हों तो मोदी चच्चा/ भैय्या क्या करें?

आइये देखते हैं कि ये कितना सच है –

पेट्रोल	2014 के रेट प्रति लीटर	2018 के रेट प्रति लीटर
टैक्स से पहले रेट	47.12	37.16
सैंट्रल टैक्स	10.39	19.48
स्टेट टैक्स	11.90	16.27
डीलर कमीशन	2.00	3.62
बेचने का रेट	71.41	76.53

डीजल	2014 के रेट प्रति लीटर	2018 के रेट प्रति लीटर
टैक्स से पहले रेट	44.98	39.95
सैंट्रल टैक्स	4.50	15.33
स्टेट टैक्स	6.19	9.97
डीलर कमीशन	1.61	2.52
बेचने का रेट	57.28	67.77

तथ्यों को देखते हुए ये समझने के लिए कोई रॉकेट वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं कि तेल की आसमान छूती कीमतों के पीछे दुनिया में बढ़ते तेल के दाम कारण नहीं हैं। कारण है तो सरकारों की पैसों की भूख। अब ये बात सही है कि सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए तो भाई टैक्स वसूलों उन लोगों से जो टैक्स दे सकते हैं या टैक्स चोरी करते हैं। बेकार तेल के दाम क्यों बढाये जा रहे हो।

मूर्खों को यह भी समझना होगा कि कारों में अय्याशी के लिए कुल तेल की खपत का थोडा हिस्सा ही इस्तेमाल होता है। बाकी तेल औद्योगिक, खेती या अन्य जरूरी कामों में लगता है। और यदि कार वालों से भी टैक्स वसूलना हो तो केवल कारों के लिए तेल के ज्यादा दाम ले लो। बाकि को तो बक्श दो।

पता है कि कई भक्त तो अनपढ़ हैं पर जो जानते भी हैं कि सच क्या है? या जान सकते हैं कि सच क्या है उनकी न जाने सच कहने में नानी क्यों मर रही है।

सिपाह वाइरस से जंग में उतरेंगे डॉक्टर कफ़ील

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2017 में ऑक्सिजन की कमी से हुई मासूमों बच्चों की मौत मामले में करीब 8 महीने जेल में बिताने वाले डॉक्टर कफील अहमद खान ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से गुजारिश की है कि वह राज्य में फैले निपाह वायरल (एनआईपी) से पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए उन्हें इजाजत दें।

डॉक्टर कफील खान ने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। मुख्यमंत्री विजयन ने भी एक फेसबुक पोस्ट के जरिये डॉक्टर कफील खान का स्वागत किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में निपाह वायरस से मरने वालों की संख्या 22 मई को बढ़कर 10 हो गई।

केंद्र और राज्य सरकार ने निपाह वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम में इस वायरस के होने की पहचान की गई है। कोझिकोड में 11 लोगों को निगरानी में रखा गया है।

यह वायरस संक्रमित चमगादड़ों, सूअरों या अन्य संक्रमित व्यक्तियों से सीधे संपर्क से आने से जानवरों और मनुष्यों दोनों में फैलता है। लेकिन अभी तक इससे सिर्फ इंसानों को पीड़ित होते देखा गया है।

दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सकों का एक दल 23 मई को इलाज करने केरल पहुंचा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि वह उन सभी मेडिकल पेशेवरों का स्वागत करते हैं जो राज्य में वायरस को नियंत्रित करने के लिए आने के इच्छुक हैं।

विजयन ने कहा- "उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर कफील खान की तरफ से अनुरोध आया है। उन्होंने कोझिकोड में पीड़ित लोगों की सेवा करने की इच्छा जताई है। मैं बताना चाहता हूं कि सभी सेवा का भाव रखने वाले पेशेवरों का स्वागत करता हूं और वे स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो उनके लिए जरूरी इंतजाम करेगा।"

बनारस पुल हादसे में गडकरी के रिश्तेदार शामिल! इतनी बेशर्मी ये लोग लाते कहां से हैं ?

बनारस पुल हादसे में एफआईआर भी दर्ज हो गयी, 48 घण्टे में की जाने वाली जांच भी पूरी हो गयी लेकिन ठेकेदार 'अज्ञात' है?

क्या सेतु निगम ने जो कांट्रेक्ट बनाया था, उसमे भी 'अज्ञात' ठेकेदार नाम लिखा है? क्या गाजीपुर का सेतु निगम खुद रोड़ी गिट्टी सीमेंट खरीद कर पुल बनवा रहा था ? कोई जाकर पूछताछ क्यों नही कि कौन अधिकारी था, कौन ठेकेदार था?

ओर कल को छाती ठोक ठोक कर कहेंगे देखा, पैसे का भ्रष्टाचार नही हुआ, अरे तुम कुछ बताओगे ही नही तो पता चलेगा कैसे ?

मीडिया को इस कदर खरीद लिया गया है कि कोई रिपोर्टर कोई संपादक इस विषय पर कुछ लिखने को तैयार ही नही है, बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन कुछ मिला ही नही। 17 से 18 मई के बाद से इस विषय मे किसी ने जाँच पड़ताल करने की जरूरत ही नही समझी, ख़बर को इस तरह दबाया जा रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नही हो।

सेतु निगम का एमडी तो बोल चुका है कि पुल हादसे की वजह आंधी तूफान है, जो जाँच समिति की रिपोर्ट के बाद 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है..... हो गया केस खत्म।

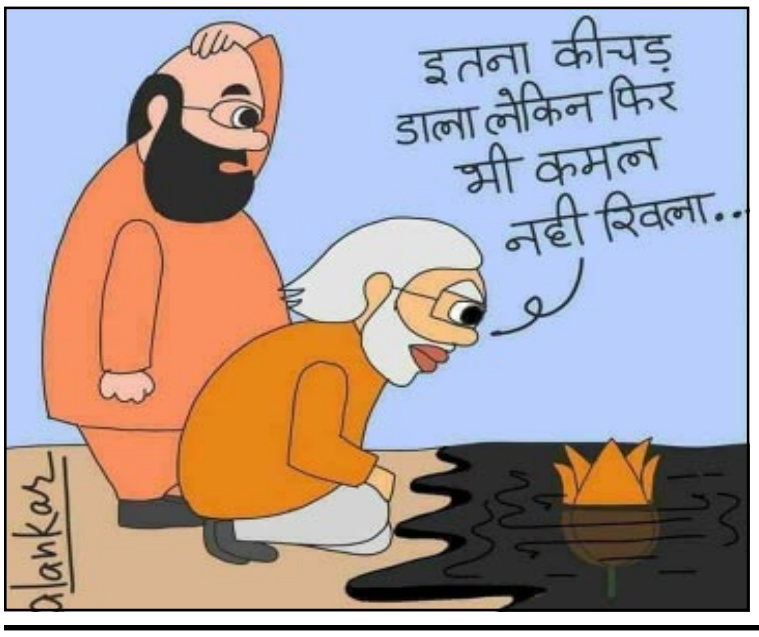

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
6. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक**
10. **आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद**

पत्रकार की मृत्यु पर 25 लाख की सरकारी सहायता मिलने समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व सीएम के नाम दिया ज्ञापन

फरीदाबाद। फरीदाबाद पत्रकार एकता मंच के पदाधिकारियों ने मंच प्रधान विकास भारत शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम का 20 सूत्रीय मांग पत्र सैक्टर-12 में उपमंडल अधिकारी सतवीर सिंह को सौंपा।

मांग पत्र में राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकारों के अन्तर को खत्म करके एक बीच का रास्ता निकालने एवं पत्रकारों को समान सरकारी लाभ देने की मांग की गई। प्रधान शर्मा ने हुड्डा के प्लाटों में और हाउसिंग बोर्ड के आवासों के आवंटन में पत्रकारों को आरक्षण दिए जाने, प्रदेश के सभी टोल पत्रकारों के लिए नि:शुल्क किए जाने, प्रशासनिक भवनों, कोर्ट परिसर एवं सचिवालय में पत्रकारों को फ्री पार्किंग सुविधा दिए जाने, पत्रकारों पेंशन पॉलिसी

में सुधार, पत्रकारों को डीसी रेट पर वेतन दिलवाए जाने, परिवहन नीति में सुधार किए जाने, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज दिलाए जाने, निजी व सरकारी स्कूलों में पत्रकारों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए जाने, पत्रकारों के लिए सरकारी बीमा पॉलिसी लागू करने, पत्रकार की मृत्यु पर सरकार द्वारा 25 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने, दुर्घटना में विकलांग होने पर पत्रकार को 10 लाख रुपए दिए जाने समेत करीब 20 मांगों का मांग पत्र एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में पत्रकार एकता मंच प्रधान विकास भारत शर्मा, हरेन्द्र स्वामी, अनिल मेहता, पूजा भारद्वाज, अमित कनौजिया, सुधीर राघव धनंजय सिंह चौहान और मिथलेश मिश्रा आदि एक दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी शामिल थे।